

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आ 50एल0आर0
पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदय प्रार्थी के उपनि-पत्र व ग्राम
खाता नंबर के जमाबन्दी के अनुसार राजकीय पशु चिकित्सालय
उपकरण का नाम राजकीय पशु चिकित्सालय ककराना
है। रिपोर्ट प्रमाण की सेवा में भेजा है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

[Signature]
16/11/2021

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 3

दिनांक - 16/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी कार्यालय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिधा की जाती है / नहीं की जाती है।

उपरोक्त विषय में उचित है

[Signature]
16/11/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

- आदेश -

दिनांक - 16/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में सम्बन्धित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	ककराना	207-5-78	513	राजकीय पशु चिकित्सालय उपकरण ककराना	राजकीय पशु चिकित्सालय ककराना

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 16/11/21

क्रमांक - राजस्व / 2020 / 1128 - 29

- लेखि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्तु पालनार्थ।
 2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनाार्थ।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी